

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली—मारवाड़.

‘पाली डेयरी’ सरदार पटेल नगर, पाली मारवाड़. पाली मारवाड़. 306401 (राज.)

दूरभास : 02932—280379, 280139 ईमेल :- palidairy@gmail.com

इन्सुलेटेड, टैंकर वाहन के द्वारा बीएमसी दूध समितियों से दूध परिवहन कार्य हेतु ई—निविदा प्रपत्र

भाग ‘अ’

निविदा का नाम	पाली दुग्ध संघ में इन्सुलेटेड, टैंकर वाहन के द्वारा बीएमसी दूध समितियों से दूध परिवहन कार्य हेतु ई—निविदा।
निविदा सूचना	निविदा सूचना क्रमांक दिनांक, जो कि राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्र तथा पाली डेयरी के मुख्य कार्यालय, इसकी संबन्ध यूनिट फालना/जैतारण के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की गई। साथ ही राजस्थान सरकार की वेबसाईट eproc.rajasthan.gov.in & sppp portal तथा आरसीडीएफ की वेबसाईट sarasmilkfed.rajasthan.gov.in पर अपलोड की गई
निविदा खोलने का स्थान	पाली डेयरी मुख्यालय, पाली।
अमानत राशि	रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र), जो कि पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पाली के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट, जो Payble at Pali हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
निविदा प्रपत्र शुल्क	रु. 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र), जो कि पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., पाली के पक्षमें डिमान्ड ड्राफ्ट, जो Payble at Pali हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
निविदा प्रोसेसिंग फीस	रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र), जो कि MD, RISL, Jaipur के पक्ष में डिमान्ड ड्राफ्ट, जो Payble at Jaipur हो, द्वारा संघ में जमा करवाया जाना है।
संघ द्वारा निविदा प्रपत्र अपलोड करने की दिनांक एवं समय	14.03.2023
निविदादाता द्वारा निविदा डाउनलोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	15.03.2023 को प्रातः 10.00 बजे से
निविदा डाउनलोड करने की अन्तिम दिनांक एवं समय	04.04.2023 सायं 5.00 बजे तक
अमानत राशि, निविदा प्रपत्र शुल्क तथा टेण्डर प्रोसेसिंग फीस के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की दिनांक एवं समय	03.04.2023 को सायं 3.00 बजे तक
तकनिकी निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	06.04.2023 को प्रातः 11.00 बजे से
वित्तिय निविदा खोलने की दिनांक एवं समय	संघ की सुविधानुसार उचित समय में
कुल निविदा मुल्य अनुमानित	15—17 लाख (दो वर्ष) प्रति रुट
कुल निविदा कार्य अवधि	दो वर्ष
निविदा प्रक्रिया अवधि	90 दिवस

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

‘पाली डेयरी’ सरदार पटेल नगर, पाली मारवाड़. पाली मारवाड़. 306401 (राज.)

दूरभाष : 02932-280379, 280139 ईमेल :- palidairy@gmail.com

निविदा तकनीकी प्रपत्र पार्ट – अ

इन्सुलेटेड, टैंकर वाहन के द्वारा बीएमसी दूध समितियों से दूध परिवहन कार्य पथ का नाम व कमांक हेतु निविदा। निविदादाता निम्नांकित प्रपत्र में सही व सत्य, पूर्ण सूचनाए भरकर मय अपने हस्ताक्षर से छाया प्रतियो वांछित दस्तावेजो को मूल से स्कैन कर वेब साईड पर लोड करे, अपूर्ण असत्य व गलत सूचनाए, साक्षियो के पाये जाने पर निविदा निरस्त होने की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता अपने हस्ताक्षर कर वेब साईड पर लोड करेगा। व्यक्ति अथवा प्रोपराईटर फर्म का मालिक स्वयं निविदा पर हस्ताक्षर करेगा। केवल साझेदारी फर्म, कर्ता व प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के लिए अधिकृत प्रतिनिधि वांछित पॉवर ऑफ अटोर्नी संलग्न करते हुए ही निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत होगा।

विवरण	मांगे गये वांछित दस्तावेज
निविदादाता का नाम	आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेन्स/राशन कार्ड
पिता का नाम.....	उपरोक्तानुसार
रस्थाई पता.....	उपरोक्तानुसार
पत्राचार का पता.....	उपरोक्तानुसार
जहाँ फर्म हो इसका भी पत्राचार का पता (लिखे)	पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति
पासपोर्ट साईज फोटो	फोटो चिपकावे व हस्ताक्षर करे।
बेसिक फोन	टेलिफोन बिल संलग्न करे।
मोबाईल फोन	टेलिफोन बिल संलग्न करे।
फैक्स नं0.....	टेलिफोन बिल संलग्न करे।
ई-मेल का पता.....	लिखे।
नोट – साझेदार फर्म की दशा मे सक्रिय साझेदार तथा एचयूएफ की दशा मे कर्ता तथा कम्पनी फर्म की दशा मे सक्रिय निदेशक निविदा भरेगे व निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगे, अतः उनका विवरण उपरोक्त कालम मे भरे। इन सबके लिए पावरऑफ अटोर्नी संलग्न करे। व्यक्ति अथवा प्रोपराईटर फर्म की दशा में स्वयं ही निविदादाता उपरोक्त जानकारी देकर हस्ताक्षर करेगे।	संलग्न करे।
पेन कार्ड विवरण	संलग्न करे।
आधार कार्ड	संलग्न करे।
निविदादाता के बैंक का नाम व पता.....	बैंक की पास बुक जिसमें यह विवरण हो

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

निविदादाता के बैंक खाता संख्या	उपरोक्तानुसार
निविदादाता के बैंक आईएफएससी	उपरोक्तानुसार
निविदादाता के बैंक खाते के अनुसार अंकित नाम का विवरण	उपरोक्तानुसार
जमा निविदा फीस बैंक ड्राफट की संख्या व दिनांक तथा राशि व बैंक का नाम	विवरण लिखे
जमा निविदा प्रोसेसिंग फीस बैंक ड्राफट की संख्या व दिनांक तथा राशि व बैंक का नाम	विवरण लिखे
अमानत राशि के लिए प्रस्तुत डी.डी./बैंक गारन्टी की संख्या व दिनांक तथा राशि व बैंक का नाम	विवरण लिखे
निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत घोषणा पत्र – नोमिनी घोषणा बाबत्, वयस्क एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने बाबत्, ब्लेकलिस्ट नहीं होने बाबत्, दिवालिया नहीं होने बाबत्, निवास स्थान के पते के बाबत्, निविदा प्रपत्र में दर्शाई गयी सभी जानकारियां सत्य व सही होने तथा कोई भी सूचना व दस्तावेज मिथ्या नहीं होने अथवा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया होने बाबत्, निविदाप्रपत्र में अंकित सभी विवरण शर्तों, संलग्नको से सहमत होने, पढ़कर समझ लेने तथा प्रमाण स्वरूप सभी पर हस्ताक्षर कर देने बाबत्, स्वयं अथवा उसके आश्रित पति–पत्नि, पुत्र–पुत्री अथवा आश्रित माता–पिता का संघ में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सेवा में नहीं होने व संचालक मण्डल सदस्य या उनका कुटूम्बी नहीं होने बाबत् घोषणा पत्र.....	नोटेरी पब्लिक से सत्यापित मूल शपथ पत्र 100 रु. के स्टाम्प पर संलग्न करे।
वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र	संलग्न करे।
वाहन फिटनेस प्रमाण–पत्र व वाहन का प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र (प्रभावी दिनांक तक)	संलग्न करे।
वाहन की बीमा पॉलिसी (प्रभावी दिनांक तक)	संलग्न करे।
वाहन का मॉडल (वर्ष–2019) या उसके बाद का	संलग्न करे।
गत वर्ष का रोड टैक्स जमा चालान	दस्तावेज संलग्न करे।
सादे कागज पर चेचिस व इंजन नम्बर पैन्सिल से घिस कर मांगने पर प्रस्तुत करना होगा।	
वाहन चालक का ड्राईविंग लाईसेन्स (प्रभावी दिनांक तक)	दस्तावेज संलग्न करे।
वाहन चालक का पासपोर्ट फोटो	संलग्न करे।
एफ.एस.ए.आई. एक्ट, 2006 का प्रमाण पत्र।	दस्तावेज संलग्न करे।
पिछले दो वर्ष का इनकम टेक्स रिटर्न। (2020–21) व (2021–22)	संलग्न करे।
(स) केवल सेवा प्रदाता के लिए (दर स्वीकृत करने के पश्चात् व कार्यादेश के पूर्व आवश्यकता	

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

पड़ने पर एक माह में निम्न पंजीयन प्रमाण पत्र अपेक्षित रहेगी ।)	
पी0 एफ0 कोड पंजीयन	
ई0एस0आई0 पंजीयन	
श्रम विभाग रजिस्ट्रेशन	
सर्विस टैक्स पंजीयन	
घोषणा पत्र की संघ में अथवा राजस्थान के अन्य संघों में वर्तमान में निविदादाता के जितने भी अनुबन्ध संचालित है उसका विवरण व अनुबन्धित वाहनों की सूची व वाहन परिचालन मार्गों के नाम का विवरण । (संघ के आदेश संलग्न करे ।)	दस्तावेज संलग्न करें।

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

वाहन सम्बन्धित सुचना:-

क्र. स.	टैंकर की पंजियन संख्या	निविदाकर्ता का नाम जिसके नाम पर वाहन (टैंकर) पंजिकृत है।	पंजियन अनुसार भरे टैंकर की भार क्षमता	पंजियन अनुसार खाली टैंकर की भार क्षमता	पंजियन अनुसार टैंकर की बेरल क्षमता	वाहन मॉडल
1						
2						

नोट:- वाहन मॉडल 2019 से पुराना नहीं होना चाहिये।

मैं यह सत्य निष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज मेरे ध्यान के अनुसार सत्य सही व पूर्ण है। इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने पर निविदा निरस्त होने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। संघ द्वारा मेरी निविदा बिना कारण बताये निरस्त किये जाने अथवा आंशिकरूप से स्वीकार किये जाने का मुझे कोई आपत्ति नहीं है तथा मेरे निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

पाली जिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

बी.एम.सी. समितियों से टैंकर द्वारा दुर्घट परिवहन सम्बन्धी शर्तें एवं नियम

1. निविदादाता के पास वाहन होने पर ही निविदा में भाग लेगा। अनुबन्ध अवधि दो वर्ष की होगी। अनुबन्ध अवधि समाप्त होने की दशा में किसी कारणवश निविदा में विलम्ब होता है तो तीन माह अथवा नयी निविदा होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकेगी जो ठेकेदार को मान्य होगी।
2. यदि कोई निविदादाता नया वाहन के लिए निविदा भरता है तो उसे अमानत राशि रु. 2,00,000/- (अक्षरे दो लाख रुपये) का डी.डी. निविदा फार्म के साथ लगाना अनिवार्य होगा तथा वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं इससे सम्बन्धित कॉलम में नया वाहन लिखा जायेगा। नये वाहन से तात्पर्य यह है कि वाहन का माड़ल 2023 या इसके बाद का ही होना चाहिए।
3. अलग-अलग पथों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा।
4. निविदादाता को इन्सुलेटेड टैंकर से पाली जिला दुर्घट उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पाली द्वारा निर्धारित किये गये मार्गों की विभिन्न बी.एम.सी. दुर्घट उत्पादक सहकारी समितियों से दुर्घट परिवहन करने हेतु पाली डेयरी संयन्त्र से प्रथम बिन्दु पर पहुंचेगा एवं समय सारिणी एवं मार्ग के अनुसार प्रथम बिन्दु से दूध लेकर पाली डेयरी संयन्त्र तक परिवहन करना होगा।
5. किसी भी ठेकेदार को पाली दुर्घट संघ में बी.एम.सी. दुर्घट पथ के लिये आवेदन कर सकेगा इससे अधिक होने पर निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा। उक्त निविदा पथोंके अतिरिक्त अन्य पथ में स्थाई रूप से दो पथों पर कार्य स्वीकृत है तो वो ठेकेदार भी उक्त निविदा में भाग नहीं ले सकेगा।
6. सफल निविदादाता के टैंकर में संघ के कर्मचारी/अधिकारी/समिति प्रतिनिधि को टैंकर के साथ लाना—ले जाना होगा। संघ से सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी/समिति प्रतिनिधि के अतिरिक्त चालक, हेल्पर के अलावा कोई बाहरी सवारी/व्यक्ति पाये जाने पर रु 500.00 तक की शास्ती लगाई जा सकेगी।
7. सेम्पल बॉक्स के टूट जाने पर इसकी राशि रु 3000 प्रति बॉक्स की ठेकेदार से कटौति की जा सकेगी। यदि जानबूझ कर सेम्पल बॉक्स तोड़ा जाना पाया गया तो परिवहन ठेकेदार से 2000.00 रुपये शास्ति आरोपित की जावेगी।
8. वाहन ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व अनुमति के अगर अन्य टैंकर बीएमसी मार्ग पर लगाता है तो उस पर रु. 4000.00 प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
9. प्रत्येक बीएमसी पर दुर्घट का सही तापमान देख कर शीट में लिखकर लाना होगा। समिति द्वारा लिखे तापमान व संघ में प्राप्त तापमान में अधिक अन्तर आने पर तथा ट्रक शीट में गलत सूचना अंकित करने पर ठेकेदार के विरुद्ध शास्ती आरोपित की जा सकेगी। डेयरी डॉक पर टैंकर के दूध का तापकम 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए अन्यथा 5 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक आने पर 1000/- रु0 प्रति डिग्री बढ़ोतरी के हिसाब से शास्ती लगाई जाएगी।
10. निविदादाता के पास उपलब्ध वाहन मॉडल वर्ष 2019 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा वाहन स्वंय के नाम होना आवश्यक है।
11. निविदा स्वीकृत होने के 15 दिवस के अन्दर वाहन प्रस्तुत करना होगा, नहीं करने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा व इसका कोई स्मरण पत्र नहीं दिया जायेगा।
12. सफल निविदादाता को दुर्घट परिवहन के लिये अन्दरूनी भाग एवं बाहरी भाग स्टेनलेस स्टील की चद्दर से निर्मित उवित रूप से इन्सुलेटेड टैंकर उपलब्ध कराना होगा जिसमें दुर्घट परिवहन के दौरान दुर्घट के तापमान में 24 घण्टे में एक डिग्री सेन्टीग्रेड से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो। सफल निविदादाता को संघ द्वारा निर्धारित जॉच कमेटी के सदस्यों से इस बाबत् प्रमाण—पत्र/प्रमाणीकरण करवाना होगा। इस आशय की रिपोर्ट/प्रमाण—पत्र प्राप्त होने के बाद ही कार्यादेश दिया जा सकेगा।
13. निविदादाता के पास टैंकर के परिवहन अधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, परमिट एवं इन्श्योरेन्स इत्यादि की स्वंय के हस्ताक्षरशुदा छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी एवं अनुबन्ध स्वीकृत होने व कार्यादेश दिये जाने से पूर्व मूल दस्तावेज से सत्यापन करवाना होगा। ठेकेदार को राजस्थान मोटर अधिनियम, परिवहन नियमों एवं वाहन संचालन सम्बन्धित अन्य समस्त नियमों की पालना करनी होगी एवं समस्त आवश्यक दस्तावेज टैंकर के साथ

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

रखना होगा। किसी भी विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन/दस्तावेजों के अभाव में शास्ती/जब्ती के लिये ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा, संघ की जिम्मेदारी नहीं होगी।

14. टैंकर को प्रतिदिन अन्दर एवं बाहर से भली प्रकार धुलवानें की पूरी जिम्मेदारी टैंकर ठेकेदार की होगी, जिसके लिये मासिक चार्जेज प्रति टैंकर 1000/-रुपये पाली संघ में देय होगी, जिसकी कटौती संबंधित ठेकेदार के बिल में की जायेगी। यदि परिवहन ठेकेदार के टैंकर का बैरल गन्दा पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस पर शास्ती आरोपित की जायेगी।
15. परिवहन ठेकेदार को बी.एम.सी. समिति पर दूध को जांच परख कर स्वीकार करना होगा। संघ स्तर पर दूध खट्टा प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में दूध खट्टा होने पर प्रचलित दूध बिक्री (आर.एम.जी) की दर पर 75 प्रतिशत राशी एवं दूध दही होने पर पूरी कीमत ठेकेदार से वसूली की जायेगी। खट्टा/दही ठेकेदार को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। समिति पर बी.एम.सी. में दूध खट्टा/दही होने की स्थिति में यदि ठेकेदार दूध स्वीकार नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे लिखित में संघ को सूचित करना होगा।
16. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया गया टैंकर ब्रेक डाऊन/दुर्घनाग्रस्त होने पर ठेकेदार को अन्य वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं के खर्च पर करना होगा। ठेकेदार यदि किसी भी दिन दुग्ध परिवहन समयानुसार करने में असमर्थ रहता है तो संघ दुग्ध परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर करेगा एवं ₹0 1000/- प्रति दिन की शास्ती भी ठेकेदार पर आरोपित की जा सकेगी जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/अमानत राशी/बैंक गारन्टी इत्यादि से वसूल की जायेगी।
17. दुग्ध समितियों पर स्थापित बल्क मिल्क कूलर से दूध टैंकर में लोडिंग करने हेतु आवश्यक श्रमिक टैंकर ठेकेदार नियोजित करेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा नियुक्त टैंकर ड्राईवर/हेल्पर की दूध चोरी/मिलावट की शिकायत या समितियों से प्राप्त दूध की गुणवत्ता/मात्रा की कमी की शिकायत प्राप्त होने पर शास्ती आरोपित की जा सकेगी व दोशी व्यक्ति को टैंकर से हटाना होगा व उसकी संघ परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी जायेगी एवं अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकेगा। जिसके लिये प्रबन्ध संचालक महोदय पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
18. ठेकेदार को दुग्ध परिवहन का माहवार बिल बिना कांट छांट व ओवर राईटिंग के प्रस्तुत करना होगा जिसमें ट्रिप वाईज किलोमीटर, समय, दूध की मात्रा इत्यादि अंकित करने होंगे एवं ठेकेदार द्वारा परिवहन बिल प्रभारी अधिकारी (बीएमसी) से बिल प्रमाणीकरण पश्चात् लेखा शाखा में बिल प्रस्तुत करने के 15 दिवस में सामान्य रूप से भुगतान रेखांकित चैक/ऑनलाईन द्वारा वैधानिक व अन्य कटौतियाँ (शास्ती इत्यादि) के पश्चात् किया जायेगा। असामान्य परिस्थिति में देरी होने पर बकाया भुगतान पर कोई ब्याज़ देय नहीं होगा। साथ ही ठेकेदार को बिल के एवज में कोई अग्रिम राशि नहीं दी जायेगी।
19. संघ द्वारा अनुबन्ध अवधि के दौरान दुग्ध संकलन में कमी/वृद्धि के कारण पूर्व निर्धारित मार्ग/मार्गों का पुनर्गठन/परिवहन करने या नये मार्ग का गठन करने अथवा किसी मार्ग को समाप्त करने की आवश्यकता होने पर संघ मार्ग का पुनर्गठन/परिवहन/गठन/समाप्त करने के लिये स्वतन्त्र होगा। इसी प्रकार संघ द्वारा समय में भी आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई मांग/दावा नहीं किया जा सकेगा। समितियों से दूध की मात्रा की आवक अधिक होने की स्थिति में संघ टैंकर ठेकेदार से अनुबंधित दर पर संघ हित में अतिरिक्त टैंकर लगाने के लिये सूचित करेगा एवं अनुबन्धकर्ता ऐसी परिस्थिति में एक से अधिक टैंकर लगाने के लिये बाध्य होगा।
20. ठेकेदार को किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के समय यदि आवश्यक हो तो परिवर्तित मार्ग से भी गन्तव्य स्थान पर दूध पहुंचाना होगा जिसकी वास्तविक दूरी का भुगतान प्रमाणीकरण पश्चात् स्वीकृति पर ही किया जा सकेगा, अन्य किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. ठेकेदार कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये सक्षम एवं निपुण व्यक्तियों को ही नियोजित करेगा। नियोजित व्यक्तियों की सूचना ठेकेदार द्वारा संघ को उपलब्ध करानी होगी। अपराधिक प्रवृत्ति/संघ द्वारा प्रतिबन्धित अथवा शारीरिक रूप से अयोग्य/अवयस्क व्यक्तियों को ठेकेदार नियुक्त नहीं कर सकेगा। टैंकर पर कार्यरत वाहन चालक हेल्पर आदि के फोटोयुक्त पहचान-पत्र ठेकेदार द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करने होंगे। नियोजित व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये एवं उसका रजिस्टर्ड चिकित्सक से स्वस्थ एवं संक्रामक रोग मुक्त होने का

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

प्रमाण पत्र संघ में उपलब्ध कराना होगा। स्वच्छता के सामान्य नियमों का पूर्णतः पालन करना होगा। दुग्ध परिवहन कार्य में अनियमितता पाए जाने पर वाहन पर कार्यरत व्यक्तियों को तुरन्त हटाना होगा। आम हड्डताल, रोड जाम होना, रोड पर दुर्घटना होने पर रास्ता बन्द होने आदि की स्थिति में भी ठेकेदार एंव स्टाफ को दुग्ध समय पर संयन्त्र में लाना होगा। कार्य में बाधा उत्पन्न करना दण्डनीय होगा व कार्य को सुचारू रूप से करने के लिये स्वयं को सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। परिवहन ठेकेदार एंव उनके स्टाफ द्वारा किसी भी शिकायत/समस्या को लेकर कार्य बाधित किये जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा पाये जाने पर कानूनी कार्यवाही करते हुये शास्ती भी आरोपित की जावेगी तथा अनुबन्ध भी समाप्त किया जा सकेगा। परिवहन ठेकेदार संघ द्वारा निश्कासित व्यक्तियों को वाहन पर नहीं रखेगा।

22. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिक कारखाना अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम एवं राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों से शासित होंगे एवं ठेकेदार स्वयं इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार रिकार्ड रखने एवं उनकी पालना के लिये उत्तरदायी होगा। दुग्ध संघ द्वारा मांगे जाने पर रिकार्ड प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ठेकेदार के बिल से ड्राईवर एवं खलासी के वेतन पर नियमानुसार पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 की कटौती की जावेगी।
23. टेंडर अवधि में यदि राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कोई कर लगाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी टेंकर ठेकेदार की होगी।
24. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा लागू जीएसटी/सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर न होने की दशा में संघ द्वारा कटौती कर जमा कराया जायेगा।
25. केन्द्रीय/राजकीय कर, अधिभार, शुल्क, लेवी, आयकर एवं भविष्य निधि आदि की राशि परिवहन ठेकेदार से काटी जावेगी। साथ ही समय—समय पर सरकार द्वारा प्रसारित नियम आदेश नियमानुसार लागू किये जावेंगे एवं तदनुसार कटौती की जावेगी। ठेकेदार, संरक्षा, फर्म अथवा सेवा प्रदाता, केन्द्रीय/राजकीय कर, अधिभार, शुल्क लेवी, सेवाकर या जीएसटी इत्यादि के लिये ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता स्वयं व्यक्तिगत रूप से चुकाने के लिये जिम्मेदार होगा।
26. वाहन का रख—रखाव, डीजल, ऑयल ,टेक्स, टोल टेक्स भुगतान की व्यवस्था हर स्थिति में अपने खर्चे पर वाहन ठेकेदार को करनी होगी।
27. ठेकेदार को नियोजित किये गये वाहन पर संघ के निर्देशानुसार सरस दूध पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली व निर्धारित मोनोग्राम लिखाना होगा एवं अनुबन्ध समाप्ति पर वाहन पर से संघ का नाम व सरस से सम्बन्धित समस्त मोनोग्राम हटाने होंगे। तत्पश्चात ही अन्तिम भुगतान एवं जमा अमानत राशी लौटाने हेतु अदेय/अबकाया प्रमाण—पत्र जारी किया जा सकेगा।
28. अनुबन्ध की अवधि समाप्ति पर वाहन ठेकेदार को समस्त समितियों/केंद्रों एवं अनुभागों से बकाया नहीं प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इसके बाद ही अंतिम बिल के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी एवं सिक्युरिटी राशि संघ द्वारा लौटाई जा सकेगी। तीन माह तक बकाया नहीं प्रमाण—पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करने में असफल रहने पर अंतिम भुगतान बिल व धरोहर राशि का भुगतान प्रबन्ध संचालक महोदय के निर्णय के पश्चात ही देय होगा।
29. डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर संघ द्वारा परिवहन दरों में भी अनुपातिक कमी/वृद्धि की जावेगी। किन्तु इस सम्बन्ध में प्रबन्ध संचालक महोदय को पूर्ण विषेशाधिकार प्राप्त होगा तथा ठेकेदार इस सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। टेंकर वाहन क्षमता 5000 से 10000 लीटर के लिये छ: कि.मी./प्र. ली. डीजल खपत मानी जावेगी। डीजल वृद्धि/कमी कुल 5 प्रतिशत रूपये से अधिक/कम होने पर पूर्ण राशि की गणना करते हुए 01 जनवरी व 01 जुलाई से की जायेगी।
30. परिवहन ठेकेदार को बी.एम.सी. समितियों से टेस्टिंग शुदा अच्छा दुग्ध प्राप्त कर इन्सुलेटेड टेंकर द्वारा डेयरी संयन्त्र पर पहुंचाना होगा। ठेकेदार को बी.एम.सी. समिति पर दुग्ध की सामान्य गुणवत्ता की जाँच करनी होगी (देखकर, सूंधकर, चखकर) एवं दूध का वजन, तापकम, जनरल फैट व सी.एल.आर. की जाँच कर रूट शीट में भर कर सचिव के हस्ताक्षर कराने होगे तथा बी.एम.सी का जनरल सेम्पल संघ में उपलब्ध करवाना होगा। अर्थात् सभी बी.एम.सी. से जनरल सेम्पल निर्धारित सेम्पल बोतलों में सील्ड बॉक्स में दुग्ध संघ की प्रयोगशाला में जांच हेतु लाने होंगे। संघ स्तर पर टेंकर का सेम्पल लिया जाकर उसकी जाँच की जावेगी एवं उसकी किलो फेट/किलो एस.एन.एफ. की गणना की जावेगी। किलो फेट/किलो एस.एन.एफ की हानि होने पर समस्त हानि की आर.एम.जी.

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

दर से एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर ठेकेदार के परिवहन बिल से कटौती आवश्यक रूप से की जावेगी। हानि की गणना दैनिक आधार पर की जावेगी। परिवहन ठेकेदार को फ्लेसिंग की अनुमति नहीं होगी एंव जीरो फ्लेसिंग पर दूध लाना होगा एंव दूध की मात्रा में यदि हानि होती है तो उसकी कटौति आर.एम.जी. की दर से की जावेगी, संघ से दी जा रही ट्रकशीट को पूर्ण भरकर लानी होगी। संघ प्रयोगशाला में बी.एम.सी. से लाये गये सैम्पल एंव टैंकर के सैम्पल की जांच की जावेगी एंव बी.एम.सी. से प्राप्त पुल टैस्टिंग (फैट प्रतिशत/एस.एन.एफ. प्रतिशत) एंव टैंकर सैम्पल से प्राप्त टैस्टिंग (फैट प्रतिशत/एस.एन.एफ. प्रतिशत) का मिलान किया जावेगा। यदि टैंकर की टैस्टिंग (फैट प्रतिशत/एस.एन.एफ. प्रतिशत) बी.एम.सी. के पुल टैस्टिंग (फैट प्रतिशत/एस.एन.एफ. प्रतिशत) से कम प्राप्त होने की स्थिति में परिवहन ठेकेदार से उस समय प्रचलित आर.एम.जी. दर से अतिरिक्त कटौति की जावेगी।

31. बी.एम.सी समिति से टैंकर मे आने वाले दुग्ध की टैस्टिंग एफ.टी. ऐ से की जायेगी व टैस्टिंग एल0ई0डी0 पर देखनी होगी। बी.एम.सी अनुबंधक को बी.एम.सी समिति के सभी सैम्पल लाने अनिवार्य होगे, सैम्पल न लाने पर रु 5000/- प्रतिदिन की षास्ती लगाई जायेगी।
32. अनुबंधित टैंकरो से दुग्ध परिवहन के दौरान टैस्टिंग मे अन्तर आने पर संघ को हुई हानि की वसुली वाहन ठेकेदार से वसुल की जायेगी टैंकर मे 0.2 प्रतिशत फैट या एस.एन.एफ से अधिक की हानि होने पर सम्पुर्ण हानि की प्रत्येक बार 2 गुणा वसुली लगाई जायेगी। जो कि अधिकतम तीन बार होगी उससे अधिक बार हानि आने पर षास्ती आरोपित करते हुए वाहन से सम्बन्धित सुरक्षा राशि व बैंक गारंटी जब्त करते हुए वाहन को कार्य मुक्त किया जा सकेगा, यह अधिकार प्रबन्ध संचालक का होगा।
33. समिति के स्तर पर टैस्टिंग जो अनुबंधक द्वारा दी जाती मे विवाद होने पर संघ स्तर पर एफ.टी.ऐ मशीन से जॉच की जायेगी वो ही समिती को देय होगी वो समिती व अनुबंधक दोनो को मान्य होगी।
34. बी.एम.सी अनुबंधक द्वारा हर समिती का दुग्ध प्रतिदिन लाना अनिवार्य होगा। न उठाने पर प्रतिदिन रु 1000 की षास्ती लगाई जायेगी।
35. किसी भी बी.एम.सी पथ मे दुध बढ़ने या घटने की स्थिति मे नयी बी.एम.सी समिती जोड़ना व हटाने की अधिकार संघ के पास रहेगा।
36. अनुबंधक स्वयं या उनके द्वारा परिवहन हेतु लगाये जाने वाले ड्राईवर व टैस्टर को परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा। तथा बदलने पर सक्षम अधिकारी को लिखीत सुचना देनी होगी अंजान व्यक्ति को संघ परिसर मे प्रवेश नहीं होगा।
37. टैंकर अनुबंधक द्वारा बी.एम.सी समिती से दुध उठाते ही ट्रकशीट मे फैट व एस.एन.एफ व दुध की मात्रा का इन्ड्रॉज करना अनिवार्य होगा। रास्ते मे डेयरी अधिकारीयो द्वारा निरीक्षण के समय ट्रकशीट अधुरी पाये जाने पर रु 10000/- (रु० दस हजार मात्र) की षास्ती लगाई जायेगी।
38. बी.एम.सी समिति से दुग्ध लेकर आने वाले टैंकर में यदि टैंकर केबीन में बदनियत से पानी के भरे हुये जरीकेन, टेप गाड़ी की कमानी/पत्ते और बाह्य पदार्थ पाये जाने पर न्यूनतम रुपये 5000/-की षास्ति आरोपित की जायेगी। तथा वाहन के साथ में लाये गये सैम्पल के आईस-बॉक्स को वे-ब्रिज पर कक्ष मे रखने के पश्चात ही वजन करवाना होगा।
39. यदि वाहन ठेकेदार या परिचालक संघ के वे-ब्रिज पर प्राप्त वजन पर आपति प्रकट करता है, तो टैंकर का वजन संघ के बाहर किसी भी वे-ब्रिज पर ले जाकर पुनः वजन करवाया जाएगा, जिसके लिये होने वाले व्यय का भुगतान वाहन ठेकेदार को करना होगा, पुनः वजन हेतु शुल्क राशि 500/-रुपये पाली संघ में देय होगी, जिसकी कटौती वाहन ठेकेदार के बिलों में से की जाएगी।
40. टैंकर चालक/परिवहन ठेकेदार का प्रतिनिधि लेब में टेस्टिंग करवाने जावेगा तो साथ में केल्कुलेटर और मोबाईल साथ में लेकर नहीं जावेगा। सामान्य टैस्टिंग के पश्चात रि-टैस्टिंग केवल एक बार ही की जावेगी, इसका उल्लंघन करने पर षास्ती आरोपित की जा सकेगी।
41. संघ/समिति के किसी भी स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करने पर षास्ति आरोपित की जावेगी एंव ठेका भी निरस्त किया जा सकता है।

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

42. संघ द्वारा बी.एम.सी. के दूध के सेम्पल की जांच हेतु प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो वह परिवहन ठेकेदार को मान्य होगा।
43. समिति/संघ द्वारा ठेकेदार के ड्राईवर/खलासी को जो भी डाक, पत्रादि/दूध सम्बन्धी चालान ट्रक शीट व अन्य सामग्री दी जावेगी, तो वो उसे सुरक्षित समिति/संघ को देनी होगी। प्रपत्रों को खोने अथवा कॉट-छॉट करने पर अथवा दुर्भावना पूर्ण अन्य कार्यवाही करने पर एवं समिति स्टोर से सामान परिवहन न करने पर ठेकेदार पर राशी रु० 500/- तक जुर्माना किया जा सकेगा एवं हानि की पूर्ति उसके बिल से की जावेगी।
44. दुग्ध वाहन को औसत 40/- कि.मी. प्रति घंटे के हिसाब की गति को देखते हुए समय सारणी प्रसारित की जाएगी। ठेकेदार को निर्धारित मार्ग से निर्धारित समय अनुसार डेयरी डॉक पर दुग्ध पहुँचाना होगा। निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से आने पर कोई षास्ति नहीं लगायी जाएगी, परन्तु यदि 30 मिनट से अधिक देरी से आने पर रुपये—1000/-प्रति घन्टे की दर से शास्ती लगाई जायेगी। विशेष परिस्थिति में प्रबंध संचालक महोदय की स्वीकृति पश्चात् छूट दी जा सकेगी।
45. ठेकेदार अनुबन्ध अवधि में ठेका छोड़कर नहीं जा सकता है यदि अनुबन्ध अवधि में ठेकेदार बीच में कार्य छोड़कर जाता है तो उसकी समस्त जमाएं अर्थात् अमानत राशि, सिक्योरिटी राशि, बैंक गारन्टी जब्त कर, उसका ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बावजूद भी संघ की कोई बकाया रहती है तो उसकी चल-अचल सम्पत्ति से वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
46. ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कार्य न करने की स्थिति में/कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में/अनुशासन भंग की स्थिति में अथवा अन्य किसी रूप से अयोग्य पाये जाने की स्थिति में प्रबंध संचालक, पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पाली को अवधि से पूर्व ही ठेका निरस्त करने, अमानत राशि, बैंक गारण्टी राशि जब्त करने एवं हर्जाना वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
47. दोनों पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का विवाद होने कि दशा में प्रबंध संचालक, पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पाली का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।
48. प्रबंध संचालक को परिस्थितियों अनुसार सात दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध की शर्तों में, परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन /विलोपन एवं नई शर्त जोड़ने का पूर्ण अधिकार होगा।
49. अमानत राशी के लिए बैंक गारण्टी/डी.डी. : निविदा फार्म के साथ संघ कार्यालय में रुपये 1,00,000/- (अक्षरे:- एक लाख रुपये मात्र) की डी.डी. संलग्न करनी होगी एवं निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को रुपये 500000/- (अक्षरे:- पाँच लाख रुपये मात्र) की बैंक गारण्टी 30 माह के लिए संघ में जमा करनी होगी। तथा 1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रुपये) डी.डी. द्वारा कराने होंगे। इस प्रकार कुल धरोहर राशि 7,00,000/- (अक्षरे सात लाख रुपये) होगी।
50. ठेकेदार को रुपये 100.00 संघ सदस्यता शुल्क जमा कराकर नोमिनल सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
51. निर्धारित मार्ग एवं समय सारणी अनुसार दुग्ध परिवहन नहीं करने पर रु० 1000.00 प्रति दिन शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
52. प्रत्येक बी.एम.सी.से दुध प्रतिदिन या प्रबंध संचालक महोदय/समकक्ष अधिकारी के निर्देशानुसार लाना होगा। यदि ठेकेदार अपनी स्वेच्छा से दुग्ध एक दिन छोड़ कर दूसरे दिन लाता है, तो प्रतिदिन 1000.00 रुपये की शास्ती लगाई जा सकेगी व दुध खराब होने पर हानि की वसूली की जा सकेगी।
53. संयन्त्र में स्थित धर्मकांटे पर प्रत्येक दिन भरा एवं खाली टैंकर का वजन करवाना होगा। टैंकर के अनलोड होने के 30 मिनट पश्चात् तक यदि खाली टैंकर का वजन नहीं करवाया जाता है, तो 100/-रुपये प्रति घण्टे की दर शास्ति आरोपित की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में दूध कम होने पर दूध की राशि वसूल की जावेगी एवं शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
54. निविदा दर स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को पत्र से सूचित किया जायेगा एवं 15 दिवस की अधिकतम अवधि में निविदादाता को 1000.00 रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय नोटेरी प्रमाणित अनुबन्धनामा, धरोहर राशि, वांछित शपथ पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र व वांछित सम्बन्धित प्रपत्र, वाहन चालक से सम्बन्धित प्रपत्र की व अन्य आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी होगी, अन्यथा अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। उक्त औपचारिकता पूर्ण करने पर ही कार्यादेश दिया जायेगा।

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

55. अनुबन्ध अवधि में परिवहन ठेकेदार की मृत्यु होने पर अनुबन्ध समाप्त माना जावेगा। संघ द्वारा नवीन व्यवस्था संघ के हर्जे—खर्जे पर की जावेगी।
56. अनुबन्धित मार्ग के अनार्थिक होने की दशा में परिवहन कार्य को निलम्बित किया जा सकेगा। पुनः उन्ही शर्तों पर परिवहन हेतु लगाया जा सकेगा। निलम्बन समय का कोई भुगतान ठेकेदार को देय नही होगा।
57. निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर को स्वीकार करने हेतु पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पाली बाध्य नही है।
58. किसी भी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से, बिना कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध संचालक, पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० पाली के पास सुरक्षित रहेगा। चाहे वह न्यूनतम दर ही क्यों न हो।
59. संघ द्वारा जी.पी.आर.एस. स्थापित किये जाने पर परिवहन ठेकेदार को स्वीकार होगा एंव उपकरणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवहन ठेकेदार की होगी। इसका 50 प्रतिशत व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।
60. अनुबन्ध अवधि में वाहन का माईलोमीटर व जी.पी.एस सही चलन स्थिती में होना चाहीये। जिससे वाहन की अनुमानित चलन दुरी का ज्ञान हो सके। माईलोमीटर/ जी.पी.एस खराब होने की दशा में रु 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) प्रति ट्रिप की घास्ती आरोपित की जा सकती है।
61. परिवहन ठेकेदार को अनुबन्ध सबलेट किये जाने की अनुमति नही होगी। ऐसा पाये जाने की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर समस्त जमा राशि जब्त की जावेगी व संघ द्वारा निविदा हस्तान्तरण नहीं की जायेगी।
62. परिवहन ठेकेदार को निविदा फॉर्म पार्ट-अ के साथ एफ.एस.ए.आई. एक्ट,2006 का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
63. परिवहन ठेकेदार द्वारा बल्क मिल्क कुलर के सेम्पल संघ द्वारा दिये गये सील बन्द बॉक्स में लाने होंगे। बी.एम.सी. समिति का सेम्पल बॉक्स से बाहर पाये जाने एंव परिवहन ठेकेदार द्वारा बॉक्स से छेड़छाड़ कर सेम्पल को अनैतिक तरीके से निकालकर गडबड किये जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी स्थिति में शास्ति आरोपित की जावेगी एंव संघ/समिति को होने वाली हानि की वसूली परिवहन ठेकेदार से की जावेगी। साथ ही वाहन पर कार्यरत स्टाफ को तुरन्त प्रभाव से हटाया जायेगा। वह क्यवित संघ से अनुबन्धित किसी भी वाहन पर कार्य नही कर सकेगा एंव अनुबन्ध भी निरस्त किया जा सकता है।
64. निविदादाता दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी एंव संचालक मंडल सदस्यों का प्रथम डिग्री रिश्तेदार (माता—पिता , पत्नी , पुत्र,पुत्रवधु , अविवाहित पुत्री , सगा भाई व सगे भाई की पत्नी) नही होने चाहिये।
65. निविदादाता पाली दुग्ध संघ की किसी भी दुग्ध समिति का सचिव अथवा अन्य कर्मचारी या प्रबन्ध कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होना चाहिए।
66. मार्ग में बी.एम.सी. टैंकर के दुर्घटनाग्रस्त, लूटमार अथवा प्राकृतिक प्रकोप के कारण संघ अथवा समिति को हुई हानि की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।
67. किसी भी निविदादाता द्वारा एक बार निविदा फार्म अपलोड किये जाने के पश्चात उसे निविदा फार्म षुल्क एंव ई—निविदा प्रोसेसिंग षुल्क किसी भी स्थिति में संघ द्वारा वापस नहीं लौटाया जायेगा।
68. यदि टैंकर ठेकेदार से वसूल की जाने वाली राशि एक लाख रु से अधिक बेश रहती है जो कि बिल की अवधि के पश्चात 05 दिवस में जमा करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा रु 10000/- की घास्ती सहीत अनुबंधक को जमा करवानी होगी घास्ती राशि जमा करवाने की अनुमति प्रबन्ध संचालक महोदय से लेनी होगी व ठेकेदार समय पर बकाया राशि जमा नही करता है तो उसका अनुबन्ध तुरन्त समाप्त कर दिया जा सकेगा।
69. हर पाक्षिक बिल के साथ बकाया बैलेन्स अगले बिल प्रस्तुत करने से पुर्व बुन्य करना होगा।
70. निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुबंधक को निविदा में स्वीकृत टैंक के बैरल इन्सुलेशन की जॉच संघ द्वारा गठित अधिकारी कमेटी द्वारा की जायेगी बैरल के इन्सुलेशन की स्थिती सही नही दिखने पर या इन्सुलेशन कमजोर है, एस.एस.षीट मे जगह जगह दरार , वेलिंग , गड्डे पाये जाने पर तुरन्त टैंकर का बैरल बदलना होगा।
71. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र पाली होगा।
72. अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसे अपिलेन्ट एथोरिटी के समक्ष नियमानुसार उचित समय मे अपील करनी होगी जिसका निस्तारण अपिलेन्ट एथोरिटी द्वारा किया जायेगा। यह निर्णय दोनो पक्षो को अन्तिम रूप से मान्य होगा।
73. किसी भी प्रकार की तकनिकी सहायता के लिये संघ कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
74. RPP Act 2012 के अनुसार संलग्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

-
75. GST संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान की जायेगी। अतः BOQ में दर GST के अतिरिक्त प्रस्तुत करें।
76. पिछले दो वर्षों का GST Certificate एवं आयकर रिटैन संलग्न करें।
77. केन्द्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त के निर्देशानुसार केवल न्यून्तम दरें देने वाले निविदादाता से ही नेगोसियेशन किया जायेगा। अतः न्यून्तम दर ही नेगोसियेशन का आधार होगा। दर अधिक होने पर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकती है।
78. निविदाकार्ता के किसी भी अवधि के तीन बार के परिवहन बिलों से ज्यादा वसुली प्राप्त होती है तो प्रबन्ध संचालक महोदय के अधिकार क्षेत्र में होगा कि स्वीकृत निविदा निरस्त कर धरोहर परिवहन बिलों की रकम जब्त कर निविदा निरस्त कर दि जायेगी।
79. कार्य के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता हो तो 10 दिवस में अपने ही नाम से नियमानुसार माड़ल का टैंकर की व्यवस्था करनी होगी।
80. शर्त संख्या 79 कारण के अतिरिक्त अन्य कारण से अपना परिवहन टैंकर बदलना चाहता है तो प्रबन्ध संचालक महोदय की स्वीकृति से रूपये 20000/- फिस जमा करने पर ही नया टैंकर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
81. निविदाकर्ता के लिये आवश्यक है कि जिस टैंकर के लिये निविदा प्रस्तुत की जा रही है वो स्वयं के नाम का ही हो।
82. 'ब' भाग खोलने के पश्चात् यदि निविदाकर्ता की दर निविदा कमेटी द्वारा निर्धारित दर से कम प्राप्त होती है तो निविदा फार्म अमान्य समझा जायेगा चाहे वो 'ब' भाग के अनुसार L1 ही क्यों नहीं आ रही हो, L1 वही होगा जो निविदा कमेटी द्वारा निर्धारित दर के बराबर या ज्यादा हो, यदि समस्त निविदाकर्ताओं की दर निविदा कमेटी द्वारा निर्धारित दर से कम प्राप्त होती है तो निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा यदि उपरोक्तानुसार L1 में एक से ज्यादा निविदाफार्म प्राप्त होते हैं तो लौटरी द्वारा ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा। अतः उपरोक्तानुसार पुरी शर्त निविदाकर्ता को मान्य होगी।

मैंने उपरोक्त कम संख्या 01 से 82 तक के सभी निर्देश, शर्ते एवं नियम अच्छी तरह पढ़ लिये हैं एवं उसी अनुरूप मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र भरा गया है, जो कि मुझे स्वीकार है। यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है, तो मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

This deed of guarantee made this day of ----- (Twenty -----) by ----- hereinafter referred to bank, which shall unless repugnant to the context or the meaning there of includes its legal representative, successors and assigns and the PALI ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD., PALI (hereinafter referred to as the SANGH) which expression shall unless repugnant to the context or meaning there of include its legal representative, successors of assigns.

WHEREAS the PALI ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD. has awarded a contract dated: ----- for ----- as per the tender terms and conditions of PALI ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD to M/S----- R/O-----hereinafter called contractor

AND WHEREAS the contractor has agreed to submit a performance security in the form of a bank guarantee to the Sangh as per the terms conditions of agreement contract which will be kept valid upto from the date of Bank Guarantee. AND WHEREAS, the bank and its duly constituted agent and officer has already understood the agreement contract made between the Sangh and the contractor In consideration of the Sangh having agreed to award the contract on the-----, we (the Bank), do hereby guarantee FORMATE OF BANK GUARENTEE FOR EARNEST MONEY DEPOSIT FOR FOUR MONTHS VALID FROM THE DATE OF TENDER SUBMISSION

, undertake, promise and agree with the Sangh, its legal representatives, successors and assigns that the within name M/S ----- contractor their legal representative and assignees will faithfully perform and fulfill everything within the binding document and the agreement contract on their part to be performed of fulfilled, at the time (time being the essence of the contract) and in the manner herein provided do all obligations there under and we further undertake, and guarantee to make payment to Sangh a sum of Rs. -----/- (Rs. ----- only) in cases the ----- contractor their legal representative and assignees do not faithfully perform and fulfill everything within the binding documents and all contract order / terms and condition on their part to be performed or fulfilled, at the time and in the manner herein provided and do not willfully and promptly do all obligation there under.

In case the -----fails to perform to fulfill the agreement as per the terms and conditions agreed upon, the Sangh is entitled to demand and amount Rs. -----/- (Rs. -----) from -----and demand made by the Sangh itself will be conclusive evidence and proof that the distributor has failed to perform of fulfill his obligations under agreement contract and neither the - contractor nor the Bank shall be entitled to raise and dispute regarding the reason for the failure or performance of fulfillment on any ground whatsoever.

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

We the ----- Bank (Name & Address) do hereby undertake to pay an amount Rs. -----/- (Rs. ----- Only) being the amount, due and payable under this guarantee, without any demur, merely on a demand from the Sangh Stating that the amount claimed in due by way of non performance of the contractual obligations as aforesaid by the distributor failure to perform the said contractual commitments, any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee, however our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. -----/- (Rs. ----- Only)

We the Bank, further agree that the performance security contained shall remain in full force with effect from -----up to ----- from the date of Bank Guarantee of till the Sangh certifies that the terms and conditions of the said contract have been fully and properly carried out by the ----- contractor -and accordingly discharge the guarantee, unless a demand of claim under these guarantee is made on us in writing by the Sangh on or before ----- We shall be discharge from all liabilities under this performance security hereafter.

We, ----- (Name & Address of Bank), further agree with the Sangh that the Sangh shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder to vary and of the terms and conditions of the binding documents and agreements contract or to extend the time of performance by the said distributor from time to time for any of the power exercisable by the Sangh against the distributor and do forbear of enforce any of the terms and conditions relating to the said binding document and the agreement contract and we shall be relieved our liability by reason of any such variation, of extension being granted to the said distributor, or for any forbearance, act omission on the part of the Sangh to the said distributor by any such matter of thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision have effect of so relieving us.

This guarantee shall be in addition to and without prejudice to any other securities of remedies which the Sangh may have of hereafter possess in respect of the works executed or intended to be executed and the Sangh shall be under no obligation to marshal in favor of the bank any such securities of funds of asset that the Sangh may be entitled to receive or have a claim upon and the Sangh at its absolute discretion may vary, exchange, renew, modify or refuse to complete to enforce or assign any security or instrument.

The bank agree that the amount hereby guaranteed shall be due to payable to the Sangh on serving us with a notice, requiring the payment and such notice shall be deemed to have been served on the bank either by actual delivery there on the bank or by dispatch there of to the bank registered post at the address of the bank.

In order to give the full effect to the provisions of this guarantee the bank hereby waives all rights inconsistent with the above provisions and which the bank might otherwise as a guarantor be entitled to claim and enforce.

We, ----- (Name & Address of Bank) lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency with the previous consent of the Sangh in writing and the guarantee shall be continuous and irrevocable guarantee upto a sum of Rs. -----/- (Rs. ----- Only) (Guarantee Amount). The bank guarantee shall be valid up to ----- unless a demand or claim in writing is made on us before ----- After it the guarantee will automatically cease the validity.

Place:

Date:

Signature

SealCode

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

STAMP (RS. 500/-)

FORMAT OF AGREEMENT TO BE EXECUTED ON NON JUDICIAL STAMP PAPER

AGREEMENT

This agreement has been made on this.....day of month -----year-----between Shri
S/o-Resident (hereinafter called the contractor (which in expression shall, where the context so admits be deemed to include his heirs, successors, executors and administrators) and the Managing Director of PALI Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., PALI (hereinafter called to the sangh) which in expression shall where the context so admits be deemed to include his successors in office of the persons deputed by the managing Director for the purpose.

Where as the contractor has agreed in accordance with the conditions of the tender and contract appended herewith, at the ratefor execution /perfoprmane of the work as referred in the work order given to the party vide no. dated---...Where as the contractor has deposited Rs./- vide Sangh receipt No.dated.....as security deposit for the due performance of the aforesaid agreement as Bank Guarantee of Rs.issued by Bankplaceinform of Sangh valid fromto in performance of contracted job.

Henceforth both the parties have been agreed as under:-

1. In consideration of the payment to be made by the Sangh at the rate set in tender conditions and work order given vide no.-----for this agreement the contractor will execute/performn the job as per the conditions set forth and agreed by him .
2. The conditions of the tender and contract enclosed with the the tender notice No.datedand also appended to this agreement will be deemed to be taken as part of this agreement and are binding on both the parties executing this agreement.
3. The Sangh do hereby agree that if the contractor in the aforesaid manner and observes the said terms and condition the Sangh through Accounts Payee Cheque will pay the amounts payable for bills to the contractor for the services rendered by him.
4. Whereas this agreement has/will come in to force for the period with effect fromand will remain inforce uptoand can be terminated earlier also by giving suitable notice by either of the party or the Managing Director, PALI Zila Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd., PALI.
5. In case of non-fulfillment of all or any of the conditions of the contract by the contractor penalty at the rates mentioned in the terms and condition attached with tender and also appended with this agreement shall be recovered either out of the dues of the contractor or from the security amount of through legal action from the contractor's property in case security is not sufficient to recover the damage of the Sangh.
6. In the event of the contractor is found unable to perform the assigned work,the contractor shall be responsible for making urternate arrangement for work performancein the prescribed manner. In case of the contractor due to some lapses on part of the contractor, the contractor will have to bear the losses sustained by Sangh. All disputes arising out of this agreement and all questions relating to the interpretations of this agreement shall be decided by the Managing Director of the Sangh and decision of the Managing Director shall be final and binding on both the parties executing the agreement. and in case of any litigation,dispute arisen during work performance or while following the terms and conditions of agreement then it shall be sorted out through arbitration act and the decision of arbitrator shall be final and binding upon both the parties.
7. the contractor has to deposit nominal member fee anf to become nominal member of the sangh.
8. The jurisdiction of the disputes is restricted to Bhilwara only.

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

In witness there of the parties here to set their hands on this day of2023.

Signature of Contractor

Signature for and on behalf of the Sangh

Witness:

Witness:

1.

1.

2.....

2.....

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, पाली

बी.एम.सी. समितियों से टेंकर द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र (भाग "ब")

निविदा सूचना संख्या :— दुसंपा/स्थापन/2022–23/ दिनांक

पथ का नाम व क्रमांक :—

नाम निविदादाता :—

पता :—

.....

टेलिफोन / मोबाईल नम्बर :—

निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक	दुसंपा/स्थापन/2022–23/	दिनांक
निविदा कार्य का विवरण	बीएमसी टेंकर मार्ग की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों पर स्थापित बल्क मिल्क कूलर से पाली डेयरी संयन्त्र तक इन्सुलेटेड टेंकर से दुग्ध परिवहन का कार्य।	

संघ द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित सभी शर्तों, उपबन्धों एवं विशेष शर्तों को मैने पढ़ लिया है। समझ लिया है जो मुझे पूर्णतः स्वीकार है जिसके सहमति प्रमाणस्वरूप मैने/हमने निविदा फार्म पार्ट –'अ' पर हस्ताक्षर किये हैं। इस मार्ग के दुग्ध परिवहन हेतु मेरी/हमारी अंतिम दर निम्नानुसार है।

क्र.सं.	पंजियन अनुसार टेंकर की भार क्षमता	टेंकर की दुग्ध परिवहन क्षमता	दर प्रति किमी प्रति 5000/9000 किलों दुग्ध परिवहन क्षमता के आधार पर	
			दर प्रति किमी (अंकों में)	दर प्रति किमी (शब्दों में)
1				DO NOT FILL

नोट :— यह केवल नमुना पत्र है दर Portal पर Boq excel Sheet में fill करे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली

प्रस्तावित बी.एम.सी. मार्ग सूची

क्र.सं.	पथ का नाम	पथ क्रमांक	टैंकर क्षमता लीटर	अनुमानित कि.मी. प्रतिदिन	औसत न्यून्तम टैंकर (सीएनजी / डीजल) परिवहन दर
01.	बर	02	9000 Ltr.	235 K.M.	20/-
02.	रामावास खुर्द	03	9000 Ltr.	225 K.M.	20/-
03.	सुमेल	05	9000 Ltr.	302 K.M.	19/-
04.	खिनावडी	06	9000 Ltr.	254 K.M.	20/-
05.	चेण्डा	11	5000 Ltr.	145 K.M.	18/-
06.	मुण्डारा	14	9000 Ltr.	220 K.M.	20/-
07.	बिजोवा	16	9000 Ltr.	170 K.M.	18/-

पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पाली
